कृषि मशीनरी हाई-टैक हब स्थापित करने के लिए 40% तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध

कृषि मशीनरी का हाई-टैक हब स्थापित करने के लिए अपनी कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एस एम ए एम) योजना के तहत भारत सरकार ग्रामीण उद्यमियों (एक उद्यमी के रूप में ग्रामीण युवा और किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ) और पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य, हाई-टैक हब की स्थापना से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनों को किराए पर उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्तर पर आय सृजन का एक अवसर भी प्रदान करना है।

परियोजना के तहत प्रति मशीन अधिकतम अनुमेय सहायता मशीन की लागत का 40% है। 1 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले हाई-टैक हब क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड वित्तीय सहायता के मॉडल के तहत स्थापित किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि लाभार्थियों को नामित बैंकों से ऋण लेने के बाद सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

बैंक लाभार्थियों को जारी वित्तीय सहायता को चार साल की अवधि के लिए लॉक कर देगा। लाभार्थी कम से कम चार साल की अवधि के भीतर पूरा बैंक ऋण चुकाएगा। लाभार्थी को छह वर्ष पूरे होने से पहले हब को किसी को हस्तांतरित/बेचने/गिरवी रखने की अनुमति नहीं होगी।

कृषि मशीनरी का हाई-टैक हब स्थापित करने के इच्छुक लोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित ज़िलों में कृषि/बागवानी कार्यालयों का दौरा कर सकते हैं। वे विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in पर भी जा सकते हैं।

हाई-टैक हब की निगरानी

स्थापित हाई-टैक हब को कृषि विज्ञान केंद्रों (के वी के)/सूचीबद्ध निर्माताओं/अनुमोदित परीक्षण केंद्रों, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों (एफ एम टी टी आई) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) केंद्रों से सीएचसी उद्यमियों को प्रशिक्षित

करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। एस एम ए एम के तहत स्थापित कृषि मशीनरी का हाई-टैक हब की निगरानी ज़िला कृषि अधिकारी द्वारा की जाती है ताकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए कस्टम हायरिंग शुल्क उचित और सस्ता हो।

हाई-टैक हब के लिए लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का प्रतिरूप

परियोजना श्रेणी	**अधिकतम अनुमेय परियोजना लागत**	**सहायता का प्रतिरूप**
1 करोड़ रुपये तक के हाई-टैक हब की स्थापना के लिए खरीद सब्सिडी	परियोजना पर आधारित	40% तक सीमित या 40 लाख रुपये, जो भी कम हो
1.5 करोड़ रुपये तक के हाई-टैक हब की स्थापना के लिए खरीद सब्सिडी	परियोजना पर आधारित	40% तक सीमित या 60 लाख रुपये, जो भी कम हो
2 करोड़ रुपये तक के हाई-टैक हब की स्थापना के लिए खरीद सब्सिडी	परियोजना पर आधारित	40% तक सीमित या 80 लाख रुपये, जो भी कम हो
2.5 करोड़ रुपये तक के हाई-टैक हब की स्थापना के लिए खरीद सब्सिडी	परियोजना पर आधारित	40% तक सीमित या 1 करोड़ रुपये, जो भी कम हो